न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 30/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद भिंवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद भिंवाल एफबीओ मैसर्स–रघुनाथ मूलचन्द एण्ड संस, 34–35 पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा।
2. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता नोमिनी/इन्चार्ज मैसर्सः– **Bharat foods co-operative ltd. Shop no. 1&2 plot no. 34 Kamani Factory road, Industrial area, Jhotwara, Jaipur.**
3. मैसर्सः– **Bharat foods co-operative ltd. Shop no. 1&2 plot no. 34 Kamani Factory road, Industrial area, Jhotwara, Jaipur.**

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 20.8.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि दिनांक 4.8.2016 को दोपहर 02:10 बजे मैसर्स– रघुनाथ मूलचन्द एण्ड संस, 34–35 पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राजेन्द्र प्रसाद भिंवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद भिंवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में 4 कार्टून में 500 एमएल पैकिंग में पैक सरसो तेल (सुमन) (4कार्टून X 24 पैट बोतल X 500 एमएल) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक कार्टून में से 4 मूल पैट बोतल 500 एमएल वजन के सरसो तेल (सुमन) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 211 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं0 NSBLK/99 दिनांक 25.04.2016 प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैट सरसो तेल (सुमन) की बोतलो पर लेबल चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1451 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 5.8.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमून की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.8.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.8.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (सुमन) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2386/एक्ट/2016/179 दिनांक 23.8.2016 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। उक्त दोनो जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसो तेल (सुमन) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने पैक्ड माल निर्माता कम्पनी से खरीदा है एवं माल जिस हालत मे खरीदा था उसी हालत में उसकी दुकान पर रखा हुआ था। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा खाद्य पदार्थ सरसो तेल (सुमन) के लेबल में जो कमी पाई गई थी उसे सुधार कर लिया गया है। अतः निवेदन है कि परिवाद निरस्त कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2386/एक्ट/2016/179 दिनांक 23.8.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (सुमन) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ सरसो तेल (सुमन) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 व 3 श्री आशीष कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता नोमिनी/इन्चार्ज मैसर्सः– **Bharat foods co-operative ltd. Shop no. 1&2 plot no. 34 Kamani Factory road, Industrial area, Jhotwara, Jaipur** पर कुल 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 20.08.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 10616-10620
दिनांकः– 21.8.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद भिंवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद भिंवाल
   एफबीओ मैसर्स–रघुनाथ मूलचन्द एण्ड संस, 34–35 पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा।
4. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता नोमिनी/इन्चार्ज
   मैसर्सः– **Bharat foods co-operative ltd. Shop no. 1&2 plot no. 34 Kamani Factory road, Industrial area, Jhotwara, Jaipur.**
5. मैसर्सः– **Bharat foods co-operative ltd. Shop no. 1&2 plot no. 34 Kamani Factory road, Industrial area, Jhotwara, Jaipur.**

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official